क्रम-संख्या—336

रजिस्टर्ड नं० ए० डी०-4

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग 1—खंड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, बुधवार, 13 जून, 1979

ज्येष्ठ 23, शक संवत् 1901

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायिका अनुभाग—1

संख्या 1545/सत्रह—वि०—1—42-79

लखनऊ, 13 जून, 1979

अधिसूचना

विविध

'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 1979 पर दिनांक 12 जून, 1979 ई० को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 19 सन् 1979 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) अधिनियम, 1979

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 19 सन् 1979)

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के तीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) अधिनियम, 1979 कहा जायगा। संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(2) यह 17 अप्रैल, 1979 को प्रवृत्त समझा जायगा ।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 25 सन् 1964 की धारा 2 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 2 में,—

(एक) खण्ड (थ-1) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायगा, अर्थात्:—

"(थ-2) किसी निर्दिष्ट कृषि उत्पादन के सम्बन्ध में, "फुटकर विक्रय" का तात्पर्य उस उत्पादन के ऐसे परिमाण के विक्रय से है जो मण्डी समिति द्वारा अपनी उपविधियों में विनिर्दिष्ट फुटकर विक्रय की सीमा से अनधिक हो",

(दो) खण्ड (धध) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायगा, अर्थात्,—

"(ध्ध) किसी निर्दिष्ट कृषि उत्पादन के सम्बन्ध में, "थोक सौदा" का तात्पर्य उस उत्पादन के ऐसे परिमाण के क्रय और विक्रय से है जो मण्डी समिति द्वारा अपनी उपविधियों में विनिर्दिष्ट फुटकर विक्रय की सीमा से अधिक हो"।

धारा 7 का संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 7 में, उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायगी, अर्थात्,—

"(2) राज्य सरकार, जहां लोक-हित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे, अधिसूचना द्वारा—

(क) प्रधान मण्डी स्थल या उप मण्डी स्थल के क्षेत्र में किसी क्षेत्र को सम्मिलित कर सकती है या उससे कोई क्षेत्र निकाल सकती है या वर्तमान प्रधान मण्डी स्थल या उप मण्डी स्थल को समाप्त कर सकती है और नये प्रधान मण्डी स्थल या उप मण्डी स्थल घोषित कर सकती है,

(ख) घोषित कर सकती है कि किसी मण्डी क्षेत्र के सम्बन्ध में निर्दिष्ट कृषि उत्पादन में से सभी या किसी का थोक सौदा उसके प्रधान मण्डी स्थल या उप मण्डी स्थल के भीतर केवल किसी निर्दिष्ट स्थान या स्थानों पर किया जायगा ।"

धारा 17 का संशोधन

4—मूल अधिनियम की धारा 17 में, खण्ड (3) में, उप खण्ड (ख) में, अन्त में निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड बढ़ा दिया जायगा, अर्थात्—

"प्रतिबन्ध यह है कि किसी निर्दिष्ट कृषि उत्पादन के फुटकर विक्रय पर कोई मण्डी शुल्क न तो लगाया जायगा और न वसूल किया जायगा, यदि ऐसा विक्रय उपभोक्ता को किया जाय ।"

धारा 39 का संशोधन

5—मूल अधिनियम की धारा 39 में, उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात्:—

"(3) इस धारा के अधीन उपविधियां बनाने की शक्ति का प्रयोग राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त जारी किये गये किन्हीं सामान्य या विशेष निदेशों के अधीन रहते हुए किया जायगा ।"

निरसन और अपवाद

6—(1) उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) अध्यादेश, 1979 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है । उत्तर प्र अध्यादे संख्या सन् 19

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानो यह अधिनियम सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त था ।

आज्ञा से,

रमेश चन्द्र देव शर्मा,

सचिव ।

No. 1545 (2) /XVII-V–1-42-1979

Dated Lucknow, June 13, 1979

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348, of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi (Sanshodhan) Adhiniyam, 1979 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 19. of 1979), as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on June 12, 1979.

THE UTTAR PRADESH KRISHI UTPADAN MANDI (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 1979

[U. P. Act no. 19 of 1979]

(*As passed by the Uttar Pradesh Legislature*)

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Adhiniyam, 1964

It is hereby enacted in the Thirtieth Year of the Republic of India as follows :—

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi (Sanshodhan) Adhiniyam, 1979. **Short title and commencement.**

(2) It shall be deemed to have come into force on April 17, 1979.

2. In section 2 of the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Adhiniyam, 1964, hereinafter referred to as the principal Act,— **Amendment of section 2 of U.P. Act no. XXV of 1964.**

(*i*) *after* clause (*q*-1), the following clause shall be *inserted,* namely—

"(*q*-2) 'retail sale' in relation to any specified agricultural produce means sale of that produce, not exceeding such quantity, as a market committee may specify in its bye-laws to be the limit of retail sale ;" ;

(ii) *after* clause (*dd*), the following clause shall be *inserted,* namely—

"(*ee*) 'whole-sale transaction' in relation to any specified agricultural produce means sale and purchase of that produce exceeding such quantity as a market committee may specify in its bye-laws to be the limit of retail sale."

3. In section 7 of the principal Act, *for* sub-section (2), the following sub-section shall be *substituted,* namely :— **Amendment of section 7.**

"(2) The State Government, where it considers necessary or expedient in the public interest so to do, may, by notification—

(*a*) include any area in or exclude any area from the area of a principal market yard or sub-market yard or abolish the existing principal market yard or sub-market yards and declare a new principal market yard or sub-market yards ;

(*b*) declare that the whole-sale transactions of all or any of the specified agricultural produce in respect of a market area shall be carried on only at a specified place or places within its principal market yard or sub-market yards."

4. In section 17 of the principal Act, in clause (iii) in sub-clause (*b*), the following proviso shall be *inserted* at the end, namely :— **Amendment of section 17.**

"Provided that no market fee shall be levied or collected on the retail sale of any specified agricultural produce where such sale is made to the consumer."

Amendment of section 39.

5. In section 39 of the principal Act, *after* sub-section (2), the following sub-section shall be *inserted*, namely :—

"(3) The power under this section to make bye-laws shall be exercised subject to any general or special directions issued by the State Government in that behalf."

Repeal and saving.

6. (1) The Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi (Sanshodhan) Adhyadesh, 1979, is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal anything done or any action taken under the principal Act as amended by the said Adhyadesh shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act as if this Act were in force at all material times.

By order,
R. C. DEO SHARMA,
Sachiv.

पी०एस०यू०पी०—ए०पी० 83 सा० (विधा०)—14-6-79—(855)—1979—700 (मेक०)।